मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक/F3-41/2017/26-2 दिनांक 19 दिसम्बर 2017

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त,
नगर निगम,मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत,मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद् मध्यप्रदेश

विषयः– सामाजिक सुरक्षा पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत एवं प्रदाय करने संबंधी अधिकारों को प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में ।

––0––

मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक/एफ–2/87/2010/26–2 दिनांक 25–06–2013 द्वारा जारी निर्देश की कंडिका–11.13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

"सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन **स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव को भी प्रत्यायोजित किये जाते हैं।**

मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 25–4–2013 में पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में **केवल दिव्यांगों** के लिये निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगों पेंशन स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जायेंगे । उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत की कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक में की जावेगी ।

2. स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप में पारित किया

जायेगा । यह संपूर्ण कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम 2010 में दर्शाये अनुसार अधिकतम समय–सीमा 15 दिवस में पूर्ण होगी । उपरांत समग्र पेंशन पोर्टल से ग्राम सचिव के द्वारा प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।" योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से समय–सीमा प्रारंभ होगी ।

3. उपरोक्त स्वीकृत प्रकरणों के आदेश स्वीकृति उपरांत पंचायत सचिव द्वारा संबंधित जनपद पंचायत में जाकर समग्र पोर्टल पर अपलोड करायेंगे ।

4. पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रकिया से होगा ।

शेष पेंशन स्वीकृति की प्रकिया यथावत रहेंगी । आदेश जारी दिनांक से मान्य होगा ।

(बबीता बसुनिया)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृ0कमांक/F3-41/2017/26–2 दिनांक 19 दिसम्बर 2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्यमंत्री के सचिव,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल ।
2. मुख्य सचिव के सचिव,मध्यप्रदेश शासन,भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,म0प्र0 भोपाल ।
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल ।
6. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,म0प्र0 भोपाल ।
7. आयुक्त,पंचायतीराज संचालनालय,म0प्र0 भोपाल

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग